

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 12(1)चिस्वा/2/18/आईडी-65/19

जयपुर, दिनांक :- 03-01-19

निदेशक(जनस्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- डॉ महावीर प्रसाद शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को कार्यग्रहण कराने
बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 67 दिनांक 14.08.18 द्वारा नवनियुक्त डॉ महावीर प्रसाद शर्मा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक 318 दिनांक 18.09.18 द्वारा डॉ शर्मा की नियुक्ति निरस्त की गई थी, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय न्यायालय में एस.बी सिविल रिट संख्या 27394/2018 दायर की गई। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.18 में डॉ शर्मा की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर स्थगन जारी किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में उक्त रिट के अध्यक्षीन रखते हुए डॉ महावीर प्रसाद शर्मा को नवपदस्थापित स्थान (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा जिला करौली) पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।


कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही तथा माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. डॉ महावीर प्रसाद शर्मा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा- निदेशक(जनस्वा.)।
2. निजी/रक्षित पत्रावली।


(ओ० पी० वर्मा)
शासन उप सचिव
OK

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 19 / 03 / 2019

क्रमांक राजपत्रित/एटी/प0 /2019/ 275

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
- 3 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 27394/2018 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.18 की पालना सुनिश्चित करें।
- 4 डा0 महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 6 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
- 7 रक्षित पत्रावली।

अति० निवेशि (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।